आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 113/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एडलवेस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, द्वितीय तल, प्लाट नम्बर 100, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

राजेन्द्र प्रसाद प्रजापत पुत्र श्री राम स्वरूप प्रजापत

पता :– प्लाट नं. 12, सेकेण्ड फ्लोर, तिरूपति विहार, निवारू लिंक रोड, झोटवाडा जयपुर।

एवं फ्लेट एट जीएफ प्लाट नं. 84 (ईस्ट पार्ट), मां करणी विहार, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

भंवरी देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद प्रजापत

पता :– प्लाट नं. 12, सेकेण्ड फ्लोर, तिरूपति विहार, निवारू लिंक रोड, झोटवाडा, जयपुर।

एवं फ्लेट एट जीएफ प्लाट नं. 84 (ईस्ट पार्ट), मां करणी विहार, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :– श्री विकास मैसी, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 23.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 17.12.2015 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापत के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नम्बर 84 का पुर्वी हिस्सा मॉ करणी विहार योजना, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित फ्लेट जी, लक्की रेजीडेन्सी, क्षेत्रफल 848 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 12,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.05.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने ऋणी का खाता जरिये असाईनमेन्ट दिनांक 20.09.2021 को प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 12,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 12,58,558.18/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.05.2017 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापत** के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति **प्लॉट नम्बर 84 का पुर्वी हिस्सा मॉ करणी विहार योजना, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित फ्लेट जी, लक्की रेजीडेन्सी, क्षेत्रफल 848 वर्गफीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 23.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner